ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 006/स्था./ 6234 /2015/म.गां.अ.हि.वि.

दिनांक: 11.12.2015

अधिसूचना

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 1996 (1997 का 3) की धारा 26 (ट) विद्यापीठों, विभागों, केंद्रों, छात्र निवासों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति तथा धारा 27 (2) कार्य परिषद समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम, बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी: परंतु कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी और उनका निरसन नहीं करेगी, जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर कार्य परिषद विचार करेगी, परंतु यह और कि कार्य परिषद धारा 26 के खण्ड (ञ) और (ट) के अधीन उपबंधित विषयों से संबंधित कोई परिनियम बनाने और उसका संशोधन या निरसन करने पर **कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से ही विचार करेगी अन्यथा नहीं**।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 (3) के अनुसार प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्तन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे कार्य परिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 (4) के अनुसार किसी नए **परिनियम, या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन** करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा **जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई है**।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 (1) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक **परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित** किया जाएगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 (2) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक **परिनियम, अध्यादेश या विनियम** बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, **संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा** जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र F.No.15-2/2007(CU) दिनांक 28.08.2012 के अनुसार 'संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र' को आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। ना तो **विश्वविद्यालय द्वारा** इस केंद्र को 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में शामिल किया गया और न ही इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किया गया है।

उक्त के आलोक में पूर्व में जारी संबंधित समस्त कार्यालयादेशों एवं अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए **संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के 'अध्यादेश-46'** तथा **'संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र'** को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निदेशक के अस्वीकृत पदनाम को समाप्त किया जाता है। साथ ही **'जनसंचार विभाग'** को पूर्ववत विभाग के तौर पर अधिसूचित किया जाता है।

विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 8 (2) के अनुसार **डॉ. कृपाशंकर चौबे**, एसोशिएट प्रोफेसर को अगले आदेश तक **जनसंचार विभाग** का **विभागाध्यक्ष** नियुक्त किया जाता है।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कार्य-परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्गत की जाती है।

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)

प्रतिः

1. प्रो. अनिल कुमार राय
   प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा
2. डॉ. कृपा शंकर चौबे
   एसोशिएट प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
   एवं प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता
   म.गां.अ.हि.वि.वि., वर्धा

प्रतिलिपिः

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. कार्य-परिषद् के सभी माननीय सदस्य।
5. विद्या-परिषद् के सभी माननीय सदस्य।
6. स्थापना एवं प्रशासन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए।
7. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/अनुभाग।
8. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली-110001.
9. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
10. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
11. सहायक कुलसचिव (परिषद्) को कार्य-परिषद् की कार्यसूची में शामिल करने के लिए।
12. संबंधित फाइल।

पोस्ट– हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442005 (महाराष्ट्र), भारत
P.O.- Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442005 (Maharashtra), India
वेब साईट/Website : www.hindivishwa.org